

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राककथन	—	v
कार्यपालिक सारांश	—	vii
<b>प्रथम अध्याय— राज्य शासन के वित्त</b>		
छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य	1.1	1
2016–17 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुभाग तथा वास्तविकतायें	1.1.3	5
जेंडर बजट	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण	1.2.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	9
कर के संग्रहण की लागत	1.3.2	11
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.3	11
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.3.4	12
त्यक्त राजस्व	1.3.5	12
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	13
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1.4.1	14
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	14
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.4.3	15
लोक लेखे की शेष राशि	1.5	15
संसाधनों का उपयोग	1.6	16
पूँजीगत व्यय	1.6.1	16
राजस्व व्यय	1.6.2	16
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	19
व्यय के उपयोग की कुशलता	1.7.2	20
चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	20
शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	21
सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम	1.8.1	21
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	21
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	22
राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	23
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	24
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	26
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक	1.9.1	26
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	26
आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन	1.9.3	27
राज्य आपदा राहत निधि	1.9.4	28
संचित निक्षेप निधि	1.9.5	28
अधोसंरचना विकास निधि	1.9.6	29

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व	1.9.7	29
ऋण प्रबंधन	1.10	30
ऋण प्रारूप	1.10.1	30
ऋण धारणीयता	1.10.2	31
<b>द्वितीय अध्याय— वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	33
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.2	34
पिछले वर्षों (2000–01 से 2016–17) से सम्बंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.2.1	34
सतत् अतिरेक व्यय	2.2.2	34
योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय	2.2.3	35
बचत	2.2.4	35
सतत् बचत	2.2.5	36
उप शीर्षों के तहत सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया	2.2.6	36
अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.7	36
उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.8	36
निधियों का अतिरेक/आवश्यक/अप्रर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.2.9	37
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.10	37
पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना	2.2.11	37
व्यय का अतिवेग	2.2.12	38
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.3	38
<b>तृतीय अध्याय— वित्तीय प्रतिवेदन</b>		
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.1	39
वित्त आयोग अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.1.2	39'
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	40
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों द्वारा लाभांश का घोषित न होना	3.2.1	41
संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक	3.3	41
संक्षिप्त आकास्मिक देयकों से आहरित योजना व्यय	3.3.1	42
संक्षिप्त आकास्मिक देयकों पर त्रुटिपूर्ण लेखन	3.3.2	42
समर्थिक प्रमाणकों के बिना विस्तृत आकस्मिक देयक तैयार करना	3.3.3	43
विस्तृत आकस्मिक देयकों के विलम्ब से समर्पण	3.3.4	43
संक्षिप्त/विस्तृत आकस्मिक देयक पंजी का संधारण न होना	3.3.5	44
हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.4	44
राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण	3.5	45
उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना	3.6	45
लघु शीर्ष— 800 में समायोजन	3.7	46
स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष	3.8	46
शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना	3.8.1	46
अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन	3.8.2	47
रोकड़ बही का अनियमित संधारण	3.8.3	47
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.9	48
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	3.9.1	48
प्राप्ति एवं व्यय का मिलान	3.10	49
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.11	49
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.12	49
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.13	49

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1 भाग अ	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	53
परिशिष्ट 1.1 भाग ब	शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र	54
परिशिष्ट 1.1 भाग स	वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।	54
परिशिष्ट 1.2	वित्तिय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि	55
परिशिष्ट 1.3 भाग अ	वर्ष 2016–17 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार	57
परिशिष्ट 1.3 भाग ब	छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तिय स्थिति	60
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2016–17 के लिये बजट प्रावधान	61
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2016–17 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय	63
परिशिष्ट 1.6	राज्य सरकार के वित्तिय समय शृंखला डाटा विश्लेषण	64
परिशिष्ट 1.7	दंतेश्वरी मैथ्या सहकारी शक्कर कारखाना के ऋण और ब्याज के साथ किश्त की वसूली के विवरण	67
परिशिष्ट 1.8	रिजर्व बैंक में जमा कुल विसंगतियों का सारांश	68
परिशिष्ट 1.9	अधोसंरचना विकास उपकर, अधोसंरचना विकास निधि एवं आरक्षित निधि में स्थानांतरण का वर्षवार संग्रह	69
परिशिष्ट 1.10	अधोसंरचना विकास निधि की गैर उपयोगिता	69
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरेक व्यय	70
परिशिष्ट 2.2	योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए	71
परिशिष्ट 2.3	कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रावधान में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की बचत	72
परिशिष्ट 2.4	वर्ष के दौरान ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का अनुदान—वार विवरण	74
परिशिष्ट 2.5	वर्ष के दौरान योजना—वार ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का विवरण	75
परिशिष्ट 2.6	अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान सतत बचत की सूची	76
परिशिष्ट 2.7	योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	79
परिशिष्ट 2.8	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए	81
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान	82
परिशिष्ट 2.10	उप—शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	83
परिशिष्ट 2.11	अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान	85
परिशिष्ट 2.12	उप शीर्ष के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	87

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 2.13	अत्याधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन (जहाँ आधिक्य / बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)	88
परिशिष्ट 2.14	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	90
परिशिष्ट 2.15	बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) धटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है	91
परिशिष्ट 2.16	समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत	92
परिशिष्ट 2.17	वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय की अतिवेग	93
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2017 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	95
परिशिष्ट 3.2	वित्त आयोग के अनुपयोगी अनुदान का डी.डी.ओ. वार सूची की स्थिति	96
परिशिष्ट 3.3	31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया वि.आ. देयक की सूची	97
परिशिष्ट 3.4	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को विलम्ब से प्रस्तुति	97
परिशिष्ट 3.5	चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति / सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार / श्रेणीवार विवरण	98
परिशिष्ट 3.6	31 मार्च 2017 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों	99
परिशिष्ट 3.7	वर्ष 2016–17 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली	101
परिशिष्ट 3.8	पूँजीगत के तहत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण	102
परिशिष्ट 3.9	अनियमित स्वीकृति का विवरण	103
परिशिष्ट 3.10	2016–17 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण	108
परिशिष्ट 3.11	वर्ष 2016–17 में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण	109
परिशिष्ट 3.12	31 मार्च 2017 को सरकारी खाता से बाहर निधि की पार्किंग की स्थिति	109
परिशिष्ट 3.13	विभागवार और वार्षिक अस्थाई अग्रिम की स्थिति	110
परिशिष्ट 3.14	राशि ₹ 79.44 करोड़ की रोकड़बही के अनुचित रखरखाव को दिखते हुए विवरण	112
परिशिष्ट 3.15	रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण	114